उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

सा.का.नि.18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, भौतिक रसायन आचार्य तथा भौतिक रसायनज्ञ, (वर्ग "क", राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2017, जहां तक इनका संबंध भौतिक रसायनज्ञ से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में सहायक आचार्य (भौतिक रसायन) के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर सहायक आचार्य (भौतिक रसायन) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक आचार्य (भौतिक रसायन)	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुसीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**मिश्रित पद्धति:** प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र राज्य प्रशासन अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन के अधिकारी, जो (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उक्त ग्रेड में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में भौतिक रसायन के साथ रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) भौतिक रसायन में अनुसंधान कार्य का पांच वर्ष का अनुभव अथवा किसी चीनी कारखाने अथवा डिस्टीलरी अथवा अन्य सम्बद्ध औद्योगिक यूनिट में पांच वर्ष का कार्य अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर भौतिक रसायन में पांच वर्ष का शिक्षण का अनुभव; अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में भौतिक रसायन के साथ रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री के रूप में आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट; और (ii) किसी चीनी कारखाने अथवा डिस्टीलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव; अथवा डिग्री स्तर पर भौतिक रसायन में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। **टिप्पण 1**: विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रसायन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 रुपए – 1,77,500 रुपए) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जिनके पास प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों हेतु शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है, पर भी बाहरी अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उसका चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पणी 2**: केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि समान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/4/2010-एसए]

अनुराग कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, 15th January, 2020

G.S.R. 18 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, of Physical Chemistry Professor and Physical Chemist, (Group 'A', Gazetted Post) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Physical Chemist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the redesignated post of Assistant Professor (Physical Chemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Assistant Professor (Physical Chemistry) Recruitment Rules, 2020.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Professor (Physical Chemistry)	* 01 (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11. (Rs.67,700-2,08,700)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Composite method: Promotion/ Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Promotion/ deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or recognized research institutes or Universities or public sectors undertakings or autonomous or statutory organisations: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experiences, namely:- (a)(i) Masters degree in Physical Chemistry or Masters Degree in Chemistry with Physical Chemistry as one of the papers from a recognised University or Institute; and (ii) five years post qualification experience of research work in Physical Chemistry or five years' working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or five years' teaching experience at degree level in Physical chemistry; or (b)(i) Doctorate in Chemistry from a recognised University or Institute with essential qualifications at Masters Degree in Physical Chemistry or Masters Degree in Chemistry with Physical Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute; and	Not applicable

(ii)three years' working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years' teaching experience at degree level in Physical Chemistry. **Note-1:-** The departmental Junior Scientific Officers (Physical Chemistry) in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix having five years' regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall be considered alongwith outsiders and if the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion. **Note-2:-** The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note-3:-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/4/2010-SA]

ANURAG KUMAR, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय सर्वेक्षण (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1980 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,विवाह किया या विवाह की संविदा की है; या